उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुद्धवार 19 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 9 मई, 2001)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1— अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (क))

2— सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

3— मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

4— विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

5— कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

6— सचिव, विधान सभा घोषित करेगें कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 5 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का चौथा अधिनियम बन गया।

7— सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मई 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 5 मई, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का पांचवा अधिनियम बन गया।

.....2/—

8— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

9— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

10— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

11— वन एवं पर्यावरण मंत्री ''भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।

12— वित्तीय वर्ष 2001—2002 के आय—व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)।

13— निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :—

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
श्री मुन्ना सिंह चौहान श्री अम्बरीष कुमार	यह सदन ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।''

14— वन मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1— श्री राम सिंह सैनी 2— श्री अम्बरीश कुमार 3— श्री मुन्ना सिंह चौहान	''यह सदन ''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएगें)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1— डा0 इन्दिरा हृदयेश	''उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएगें)

.....3/—

15— वन एवं पर्यावरण मंत्री यह प्रस्ताव करेगें कि '' उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।''

16— वन एवं पर्यावरण मंत्री यह प्रस्ताव करेगें कि ''भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

17— वन एवं पर्यावरण मंत्री यह प्रस्ताव करेगें कि ''भारतीय वन अधिनियम उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

18— पर्वतीय क्षेत्र में सडकों के संकीर्ण होने के कारण वाहन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में श्री राम सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मई, 2001 को नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, माननीय मुख्यमंत्री का वकतव्य।

19— नियम— 51 के अन्तर्गत सूचनाएं यदि कोई हों।

देहरादून।

दिनांक : 9 मई 2001

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा बुद्ध

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
बुद्धवार 19 बैशाख, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 9 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्
नत्थी (क)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री राजेन्द्र सिंह
1—2—2001

* 1— क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि देहरादून जनपद में माइनिंग सेस फण्ड का कितना धन चालू वित्तीय वर्ष में किस—किस मद में तथा किन—किन ग्रामों में खर्च किया गया है तथा कितना—कितना धन शेष है ? शेष धन को सम्बंधित/प्रभावित क्षेत्रों की किन—किन योजनाओं में खर्च करना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दूसरे मंगल के तारा.8 में स्था0

श्री मुन्ना सिंह चौहान
1—2—2001

* 2—

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
4—2—2001

* 3— क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी की गोला नदी में उपलब्ध अत्यंत कीमती एवं भ्ष्ठ रेता—बजरी के विपणन की सरकार ने क्या नीति बनायी है ?

12वें मंगल के तारा 1 में स्था0

श्री राम सिंह सैनी
2—3—2001

* 4— क्या मा0 राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार में प्रवेश में पड रहे सूखे से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व

श्री अम्बरीष कुमार
2—3—2001

* 5— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में मेला—यात्रा सीजन को दृष्टिगत करते हए मेला काल (1 अप्रैल से 31 अक्टूबर) को अधिसूचित करके यात्रियों की सुविधार्थ नगर पालिका, हरिद्वार को अलग से पर्याप्त धन देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना धन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

12वें सोम के तारा05 में स्था0

.....2/—

श्री इशम सिंह
2–3–2001

* 6– क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन भूमि में अतिक्रमण करके कितने गांव बसे हुए हैं ? इन गांव वासियों को स्थाई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने हेतु सरकार की क्या नीति होगी ?

3सरे बुद्ध के तारा0 7 में स्था0

श्री लाखी राम जोशी
श्री ज्ञान चन्द्र
श्री राजेन्द्र सिंह
2–3–2001

* 7– क्या सरकार कृप्या बतायेगी कि उत्तरांचल राज्य को ''विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किए जाने के सम्बंध में अब तक की गई कार्यवाही से क्या सरकार अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

18वें सोम के तारा0 3 में स्था0

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
3–3–2001

* 8– क्या सरकार कों ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों मुन्स्यारी व धारचूला व नवसृजित चम्पावत जिले के ऊंचाई क्षेत्रों में भी ''चमखरीक'' नामक कीमती वृक्ष काफी मात्रा में पाया जाता है ? जिसकी लकडी की उपयोगिता हवाई जहाज एवं खेलकूद के यन्त्रों में निर्माण में होता है ? यदि हो, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा दिए जाने हेतु चमखरीक प्लांटेशन की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

–: अतारांकित प्रश्न :–

श्री अम्बरीष कुमार
20–4–2001

1– क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में वन निगम से नियमित कर्मचारियों की छटनी की गयी थी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ? क्या छटनीशुदा कर्मचारियों में से कुछ को सेवा में पुनः समायोजित किया गया ? यदि हां, तो कब–कब ? क्या गढ़वाल क्षेत्र में भी कुछ कर्मचारी समायोजित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या समायोजन में वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखा गया है ? शेष कर्मचारी गढ़वाल क्षेत्र में कितने है और उन्हें कब तक समायोजित किया जाएगा ?

वन

श्री राम सिंह सैनी
13–3–2001

2– क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर, देहरादून के सेंडा सढौली के ग्राम के कृषकों ने सरकारी प्रोत्साहन से प्रेरित होकर वहां जडी–बूटियों की फसलें तैयार की हैं ? क्या यह सही है कि वन विभाग के अधिकारी उनको इस फसल को काटने नहीं दे रहे हैं ? क्या सरकार उनकी फसल को कटवाने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त ग्राम के किसानों की फसल काटने के विवाद को सुलझायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

3सरे बुद्ध के अता0 1 में स्था0